बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–07/स्था0–29–181/2021, परि0 7315
02/9/2025

:: नोटिस ::

श्री आशुतोष कुमार, चलन्त दस्ता सिपाही, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, पिता– श्री तुफानी प्रसाद यादव, ग्राम–नावाडीह, थाना–रूपौ, जिला–नवादा (बिहार)–805106 के आवेदन दिनांक–29.09.2024 द्वारा स्पाईन की समस्या का उल्लेख करते हुए स्वस्थ होने तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था। आवेदन के साथ संलग्न चिकित्सा पुर्जा में डॉक्टर द्वारा दिनांक–20.09.2024 से 10 दिन अर्थात् दिनांक–29.09.2024 तक का Bed Rest अंकित था।

श्री आशुतोष कुमार, चलन्त दस्ता सिपाही उपर्युक्त अवधि के बाद भी लगातार कार्यालय से अनुपस्थित हैं। लगातार अनुपस्थिति के संबंध में कोई सूचना परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक–12790, दिनांक–17.10.2024 एवं विभागीय पत्रांक–13940, दिनांक–03.12.2024 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत कर उनके गृह पता पर भेजा गया, परन्तु संबंधित चलन्त दस्ता सिपाही के द्वारा इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है और न ही कार्यालय में उपस्थित हुए हैं।

श्री कुमार का लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि वे सेवा करने के इच्छुक नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक श्री आशुतोष कुमार, चलन्त दस्ता सिपाही, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर परिवहन विभाग, बिहार, पटना में स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ससमय उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपको निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी एवं भविष्य में आपके किसी भी आवेदन/अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

2.9.25

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।